

कार्यालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 संख्या—3402/रापो—त0ना0त0—3—16/स्थापदो/2014, दिनांक 4 सितम्बर, 2014
आदेश

राजस्व विभाग अन्तर्गत नायब तहसीलदारों के अधिकांश पद रिक्त होने से लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया में संभावित बिलब को ट्रिटिगत रखते हुये शासनादेश संख्या—54/XVIII(1)/2013-3(58)/09, दिनांक 9.01.2013 से प्रदत्त निर्देशों के आलोक में नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर रथानापन्न/तदर्थ प्रोन्नति हेतु राजस्व परिषद स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति दिनांक 11.09.2014 के कम में राजस्व निरीक्षक एवं रजिस्ट्रार कानूनगो को आगामी एक वर्ष अथवा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन होने, जो भी पहले हो, तक के लिये नायब तहसीलदार के पद पर रथानापन्न/तदर्थ रूप से पदोन्नत किया जाता है। यह प्रोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से ही प्रभावी होगी। इन कार्मिकों की तैनाती उनके सम्मुख अंकित जनपद एवं मण्डल में की जाती हैं—

| क्र0स0 | राजस्व निरीक्षक/रजिस्ट्रार कानूनगो का नाम | वर्तमान तैनाती का जनपद | तदर्थ प्रोन्नति उपरान्त तैनाती का जनपद एवं मण्डल |
|--------|--|------------------------|--|
| 1. | श्री नारायणसिंह धामी(पर्वतीय), राजस्व निरीक्षक | चम्पावत | अल्मोड़ा, कुमाँयू मण्डल |
| 2. | श्री राजेन्द्रसिंह नेमी, राजस्व निरीक्षक | अल्मोड़ा | उधमसिंहनगर, कुमाँयू मण्डल |
| 3. | श्री प्रयागदत्त सनवाल, राजस्व निरीक्षक | अल्मोड़ा | हरिद्वार, गढवाल मण्डल |
| 4. | श्री बलवन्तसिंह कठायत, राजस्व निरीक्षक | तैनीताल/अल्मोड़ा | उधमसिंहनगर, कुमाँयू मण्डल |
| 5. | श्री पूर्णसिंह सुप्याल, राजस्व निरीक्षक | अल्मोड़ा | बागेश्वर, कुमाँयू मण्डल |
| 6. | श्री पूर्णसिंह सुप्याल, राजस्व निरीक्षक | अल्मोड़ा | देहरादून, गढवाल मण्डल |
| 7. | श्री शिवदत्त भट्ट, राजस्व निरीक्षक | चम्पावत | अल्मोड़ा, कुमाँयू मण्डल |
| 8. | श्री बहादुरराम, राजस्व निरीक्षक | अल्मोड़ा | अल्मोड़ा, कुमाँयू मण्डल |
| 9. | श्री इन्द्र बहादुर मल, रजिस्ट्रार कानूनगो | पिथौरागढ़ | पौड़ी, गढवाल मण्डल |
| 10. | श्री कुमेरसिंह चुफाल, रजिस्ट्रार कानूनगो | पिथौरागढ़ | पिथौरागढ़, कुमाँयू मण्डल |

यह प्रोन्नतियां नितान्त अस्थाई हैं तथा कभी भी बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती है।


2. यदि उपरोक्त कार्मिकों के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है, जो कि उनकी तदर्थ प्रोन्नति को प्रभावित कर सकता है, तो उनकी उक्त तदर्थ प्रोन्नति निरस्त की जायेगी।

(पी0एस0जंगपांगी)
 आयुक्त एवं सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल नैनीताल / गढवाल मण्डल पौडी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित राजरच निरीक्षक एवं रजिस्ट्रार कानूनगो।
5. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


(पी०एस०जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव